समयबद्ध / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 177 /नौ–9–2017–280ज/12

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2–नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

3–प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

4–निदेशक,
सी.एण्ड डी.एस.
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 20 फरवरी, 2017

विषय–प्रदेश में लधु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिये सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र (कामन अप्लिकेशन फार्म) पर आधारित आन लाइन एकल मेज व्यवस्था (निवेश मित्र) की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–11/2016/714/18–2–2016–30(8)/2004 दिनांक 13.10.16 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा लधु एवं मध्यम उद्योगों (प्लान्ट मशीनरी में पूंजी निवेश रू. 25.00 लाख से रू0 10.00 करोड तक करने वाली इकाईयों) के लिये सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र (Common application Form) पर आधारित आन लाइन एकल मेज व्यवस्था निवेश मित्र व्यवस्था कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संर्दिभत शासनादेश दिनांक 13.10.16 के अनुसार आन लाइन एकल मेज व्यवस्था (Single Table System) निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से लधु एवं मध्यम उद्योगों (प्लान्ट मशीनरी में पूंजी निवेश रू. 25.00 लाख से रू0 10.00 करोड तक करने वाली इकाईयों) को सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था का औपचारिक शुभारम्भ शासन द्वारा दिनांक 23.12.16 को किया जा चुका है। कृपया प्रकरण में निम्नानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) उक्त परिधि में आने वाली औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु समस्त विभागीय अनुमतियां, अनापत्तियां, पंजीयन, लाईसेन्स आदि प्राप्त करने हेतु

विषयगत व्यवस्था सम्बन्धित नगरीय निकायों के वेब पोर्टल पर ही आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित कराये तथा किसी भी दशा में आवेदनों को Manually न प्राप्त किया जाय।

(2) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को निर्धारित समयावधि, जैसा कि जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए समयबद्धता सुनिश्चित की जाय।

(3) उद्यमी द्वारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के उपरान्त प्रिन्ट आउट एक प्रति उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा जिला उद्योग बन्धु के माध्यम से अन्य विभागों से समन्वय करते हुए आवश्यक स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उक्त व्यवस्था की सघन समीक्षा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ एवं नगर निगम स्तर पर नगर आयुक्त तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत स्तर पर अधिशासी अधिशासी अधिकारी द्वारा पाक्षिक रूप से की जायेगी

(5) समस्त आवेदनों पर एक बार मे ही समस्त प्रकार की पृच्छाये की जाय, जिससे त्वरित गति से ससमय आवेदनों का निस्तारण किया जाय सके।

(6) निकाय स्तर से निर्गत समस्त अनुमति/अनापत्ति/लाईसेन्स इत्यादि की प्रति जिला उद्योग बन्धु को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय। जिला स्तरीय उद्योग बन्धु द्वारा अनुमति/अनापत्ति/लाईसेस इत्यादि की प्रति पर यूनिक कोड अंकित कर उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर करते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसे उद्यमी स्वतः अपने कार्यालय में डाउन लोड कर सकेगें।

(7) निर्धारित अवधि में सभी औपचारिक्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि किसी इकाई को क्लीयरेन्स प्राप्त नही होती है, तो प्रश्नगत प्रकरण जिला उद्योग बन्धु की बैठक में रखा जाय तथा सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवेदन पत्रों को गतिमान कर स्वीकृति प्रदान कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेशानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिह)
सचिव।

go-v

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
4– समस्त जिलाधिारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)।
6– वेब साईट पर अपलोड हेतु।
7– गार्ड फाईल/

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-v